प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **03/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Ram Singh Rajawat Add: 38, Sirasya, Lasadiya, Phagi, Jaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ऋषभदेव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329279843497908 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संबंधित सूचना नहीं दिये जाने एवं तहसील ऋषभदेव से पूरी पत्रावलियों गायब कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3171823625 दिनांक 07.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/03/25/07–08 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव ने जरिये पत्रांकः 2025/51 दिनांक 28.01.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अपीलाण्ट श्री राम सिंह राजावत बनाम रेस्पोडेंट तहसीलदार ऋभषदेव में आवेदक द्वारा आरटीआई पोर्टल पर आवेदन क्रमांक 329814438723847 से दिनांक 03.11.2024 Life/liberty Urgency Category के अंतर्गत आवेदन किया गया। जिसके जवाब में आरटीआई पोर्टल पर समयावधि में क्रमांक 1150237207 दिनांक 05.11.2024 को शूल्क जमा करने के लिए आरटीआई पोर्टल पर फी–इन्टीमेंशन भेजा गया। परन्तु आवेदक द्वारा आज दिनांक तक शूल्क जमा नहीं कराया गया। अतः आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 51 दिनांक 28.01.2025 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आवेदन प्राप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर ही कार्यालय के पत्रांक 1150237207 दिनांक 05.11.2024 द्वारा ऑनलाईन ही राजकोष में

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा राशि नहीं जमा कराये जाने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव के कार्यालय में वांछित शूल्क जमा करा सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 10/2/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना को अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर